FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0006 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/01/2026 17:35 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 23/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 01/01/2026

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:45 बजे **Time To (समय तक):** 11:42 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/01/2026 **Time (समय):** 17:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/01/2026 17:35:53 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 02 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** KARYALAY JILA UDYOG AVM VANIJYAK KENDRA, SAWAI MADHOPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** JITENDRA KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** HARKESH MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1998 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MENPURA, SOORWAAL, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MENPURA, SOORWAAL, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SURYAPRAKASH NAMA		पिता:SATYANARAYAN	1. KESARIYA MANDIR KE PASS MISHR MOHALLA,CITY SAWAI MADHOPUR,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर। विषयः- रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं जितेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री हरकेश मीना निवासी मैनपुरा, पुलिस थाना सूरवाल का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी ने वर्ष 2023 में गांव मैनपुरा में हार्डवेयर व मैकेनिकल लघु उधोग धन्धे के लिये जिला उधोग केन्द्र सवाई माधोपुर से डॉ भीमराव अम्बेडकर दलित प्रोत्साहन स्कीम के तहत 16 लाख रूपये के लोन हेतु फॉर्म भरा था। जिसका वेरिफिकेशन होने के पश्चात आईडीबीआई बैंक शाखा शैरपुर जिला सवाई माधोपुर से 16 लाख रूपये का लोन हुआ था। जिसमें 10 लाख रूपये का लोन व छः लाख सीसी लिमिट है। उक्त छः लाख के लोन की सब्सीडी व दस लाख के लोन का ब्याज हर तीन माह में हमारे लोन खाते में रिफन्ड होती है। उक्त सब्सीडी को पास कर हमारे लोन खाते में डालने की एवज में व मेरे बुआजी के लडके रामप्रकाश निवासी ग्राम मउ जिसने हमारे गांव मैनपुरा में टेन्ट की दुकान डाल रखी है। उसके लोन का ब्याज रिफन्ड व मेरे भाई विजेन्द्र कुमार मीना जिसने भी हमारे गांव मैनपुरा में कपडे की दुकान डाल रखी है। जिसके लोन का ब्याज व सीसी लिमिट का ब्याज लोन खाते में डालने के बदले में कार्यालय जिला उधोग केन्द्र सवाई माधोपुर में कार्यरत कर्मचारी श्री सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक मेरे से तीस हजार रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है। उक्त तीनो दुकानों का कार्य में ही सम्भालता हूँ। इस प्रकार सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक मेरे से तीनो दुकानों की सब्सिडी व ब्याज अनुदान राशि डालने की एवज में तीस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मेरे द्वारा सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक के विरूद्ध करवाइ जा रही कार्यवाही की जानकारी मेरे पिताजी व मेरे भाईयों को भी है। हम हमारे जायज काम के बदले में उक्त कर्मचारी को रिश्वत राशि नही देना चाहते है, बल्कि रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पडवाना चाहते है। मेरी व मेरे परिवार की सूर्यप्रकाश नामा से कोई पुरानी रंजिश व लेन-देन बकाया नही है। मैं यह कार्यवाही बिना किसी दबाब के करवा रहा हूँ। रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की कृपा करें। हस्ताक्षर प्रार्थी- जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरकेश मीना निवासी मैनपुरा, पुलिस थाना सूरवाल मो. नं. दिनांक-23.12.2025 हस्ता. ज्ञान सिंह चैधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी सवाई माधोपुर दिनांक 26.12.2025, ह0 स्वतंत्र गवाह- कृष्ण कन्हैया वर्मा व जितेश कुमार गर्ग दिनांक 01.01.2026,

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि ब्यूरो के टोल-फ्री नम्बर 1064 पर षिकायतकर्ता श्री जितेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री हरकेश मीना निवासी मैनपुरा, पुलिस थाना सूरवाल जिला सवाई माधोपुर, ने दिनांक 23.12.2025 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह चैधरी से सम्पर्क उपरान्त परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री हरकेश मीना निवासी मैनपुरा, पुलिस थाना सूरवाल जिला सवाई माधोपुर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट श्री सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक को रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने बाबत मय अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति मय अधिकृत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात के श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर के नाम संबोधित की हुई श्री मनोज कुमार कानि. को पेश की। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकस्मिक अवकाश पर होने से उपरोक्त लिखित रिपोर्ट बाबत श्री मनोज कुमार कानि ने जरिये व्हाट्सप कॉल मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया तथा परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार से वार्ता कराई गई, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर विभागीय वाईस रिकार्डर जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी के हमराह श्री राजवीर सिंह कानि. 149 को संदिग्ध आरोपी के पास भेजकर रिश्वत राशि की मांग का गोपनीय सत्यापन कराकर सत्यापन कार्यवाही से अवगत कराये जाने के निर्देष दिये गये। इसके पश्चात श्री मनोज कुमार कानि. ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि परिवादी ने बताया कि अब शाम हो चुकी है तथा कार्यालय बन्द होने का समय भी हो चुका है और अब आरोपी कार्यालय में नहीं मिलेगा, दिनांक 24.12.2025 को दोपहर बाद आरोपी से कार्यालय जिला उधोग केन्द्र सवाई माधोपुर में रिश्वत मांग के संबंध में वार्ता हो सकती है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 24.12.2025 को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन की हिदायत दी गई। इसके पश्चात दिनांक 24.12.2025 को समय 01.40 पी.एम पर परिवादी के कार्यालय में उपस्थित आने पर श्री भोलाराम कानि. 281 से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जरिये दुरभाष वार्ताअनुसार मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार कार्यालय अलमारी में रखे विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मैक मॉडल

सोनी बरंग काला मय नया सनडिस्क माईक्रो एसडी कार्ड 32 जीबी डले सहित को श्री राजवीर सिंह कानि. से निकलवा कर उक्त वॉईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड को खाली होना सुनिष्चित कर तथा वॉईस रिकार्डर व एसडी कार्ड के किसी भी फोल्डर में पूर्व से कोई आवाज रिकार्ड नही होना सुनिश्चित कर परिवादी जितेन्द्र कुमार एवं श्री राजवीर सिंह को चालू व बंद करने की विधि समझाई जाकर श्री राजवीर सिंह कानि. 149 को जरिये फर्द सुपुर्द कर मुनासिफ हिदायत कर श्री राजवीर सिंह कानि. 149 व परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार को स्वंय की निजी मोटरसाईकिल से रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय जिला उधोग केन्द्र सवाई माधोपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 03.25 पी.एम पर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार व श्री राजवीर सिंह कानि. उपस्थित कार्यालय आने पर श्री भोलाराम कानि. द्वारा जरिये दूरभाष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में अवगत करवाते हुये परिवादी से वार्ता कराई तो मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भोलाराम कानि. को वॉईस रिकार्डर जरिये फर्द प्राप्त कर सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखने के निर्देष देकर परिवादी को दिनांक 31.12.2025 को मांगी गई रिष्वत राषि सहित आने के निर्देष दिये जाकर परिवादी को ब्यूरो कार्यालय से रवाना करने की हिदायत दी गई। इसके पश्चात दिनांक 26.12.2025 को समय 12.30 पी.एम पर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री हरकेश मीना निवासी मैनपुरा, पुलिस थाना सूरवाल जिला सवाई माधोपुर उपस्थित कार्यालय आने पर श्री भोलाराम कानि. 281 ने कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखी परिवादी की लिखित रिपोर्ट तथा उसके साथ पेश कागजात, मय कार्यवाही पुलिस, फर्दात तथा विभागीय वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड डले सहित (जिसमें दिनांक 24.12.2025 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है) मय परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार के अग्रिम कार्यवाही हेतु मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये गये। जिस पर मैने परिवादी जितेन्द्र कुमार की लिखित रिपोर्ट एवं अन्य कागजात, फर्दात आदि का अवलोकन किया तथा परिवादी जितेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 23.12.2025 के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो परिवादी ने लिखित रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना एवं अंकित तथ्य सही होना बताते हुये बताया कि मेरे पिताजी ने वर्ष 2023 में गांव मैनपुरा में हार्डवेयर व मैकेनिकल लघु उधोग धन्धे के लिये जिला उधोग केन्द्र सवाई माधोपुर से डॉ भीमराव अम्बेडकर दलित प्रोत्साहन स्कीम के तहत 16 लाख रूपये के लोन हेतु फॉर्म भरा था। जिसका वेरिफिकेशन होने के पश्चात आईडीबीआई बैंक शाखा शैरपुर जिला सवाई माधोपुर से 16 लाख रूपये का लोन हुआ था। जिसमें 10 लाख रूपये का लोन व छः लाख सीसी लिमिट है। उक्त छः लाख के लोन की सब्सीडी व दस लाख के लोन का ब्याज हर तीन माह में हमारे लोन खाते में रिफन्ड होती है। उक्त सब्सीडी को पास कर हमारे लोन खाते में डालने की एवज में व मेरे बुआजी के लडके रामप्रकाश निवासी ग्राम मउ जिसने हमारे गांव मैनपुरा में टेन्ट की दुकान डाल रखी है। उसके लोन का ब्याज रिफन्ड व मेरे भाई विजेन्द्र कुमार मीना जिसने भी हमारे गांव मैनपुरा में कपडे की दुकान डाल रखी है। जिसके लोन का ब्याज व सीसी लिमिट का ब्याज लोन खाते में डालने के बदले में कार्यालय जिला उधोग केन्द्र सवाई माधोपुर में कार्यरत कर्मचारी श्री सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक मेरे से तीस हजार रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है। उक्त तीनो दुकानों का कार्य में ही सम्भालता हॅू। इस प्रकार सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक मेरे से तीनो दुकानों की सब्सिडीडी व ब्याज अनुदान राशि डालने की एवज में तीस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। जिसको पकडवाने के लिये मैने दिनांक 23.12.2025 को आपके कार्यालय में एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर दिनांक 24.12.2025 को मेरे आपके कार्यालय में आने पर राजवीर सिंह कानि. के साथ सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक जिला उधोग केन्द्र सवाई माधोपुर के पास भेजकर रिष्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु रवाना किया था, जिस पर मैं व राजवीर सिंह कानि. आपके कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय जिला उधोग केन्द्र सवाई माधोपुर के पास स्थित शहरी स्वास्थ्य केन्द्र बजरिया पहुंचे, जहां पर राजवीर जी ने मुझे एक साईड में जाकर वाईस रिकार्डर अपने पास से निकालकर चालू कर अपनी आवाज एवं दिनांक रिकॉर्ड कर वाईस रिकॉर्डर मेरा नाम बोलकर चालू हालत में मुझे दे दिया, जिसको मैने अपनी पहनी हुई जैकिट के अन्दर की जेब में रख लिया और फिर मै राजवीर जी के पास से रवाना होकर कार्यालय जिला उधोग केन्द्र पर चला गया। राजवीर सिंह जी भी मेरे पीछे-पीछे रवाना हो गये थे। मै कार्यालय जिला उधोग केन्द्र के अन्दर उस कमरे में पहुंचा, जहां पर सूर्यप्रकाश नामा जी बैठते है, जहां पर दो-चार आदमी पहले से बैठे हुये थे। सूर्यप्रकाश नामा जी ने मेरे कहा की थोडी देर बैठ जा अभी टाईम लगेगा। इसके बाद मैं उनके कार्यालय कक्ष में ही बैठ गया। इसके पश्चात सूर्यप्रकाश नामा जी के पास बैठे व्यक्तियों जाने के बाद मैंने सूर्यप्रकाश नामा जी से मेरे कार्य के सम्बन्ध में वार्ता की तो सूर्यप्रकाश जी ने मेरे से मेरा नाम पूछते हुये कहा कि एक जन आधार पर एक ही लोन मिलता है, तु चाहे तो मैडम से पूछ ले। मैने मैडम के पास जाने से मना कर दिया। इसके बाद में मेरे व आरोपी के बीच में लोन की सब्सिडीडी खाते में डालने के बारे में बातचीत हुई तथा सूर्यप्रकाश नामा जी ने मेरे तीस हजार रूपये की मांग करते हुये 25,000/- रूपये की मांग की और कहा की जो उन्नीस बीस होगा कर लेगे तथा मेरे से कहा कि अभी तू कितने लाया है, मैने कहा कि पांच हजार लाया हॅू। फिर उन्होने कहा एक साथ ही कर देना और कहा कि 29 व 30 तारिख को मैं छुटटी पर हॅू, तू 31 को आना। मैने उनसे कहा कि आपने बताये उसमें कोई रियायत है तो सूर्यप्रकाश जी ने कहा कि 25 तो कुछ भी नही है। इसके बाद मैं उनके पास से रवाना होकर राजवीर सिंह जी के पास आ गया। इन्होने मुझसे वॉईस रिकॉर्डर लेकर बन्द कर अपने पास रख लिया। उसके बाद मैने इनको सारी बातें बता दी। इसके बाद मैं और राजवीर सिंह जी मौके पर से रवाना होकर कार्यालय में आ गये। कार्यालय में आने पर मेरी आपसे

जरिये मोबाईल वार्ता करवाई थी। मैने सूर्यप्रकाश नामा से हुई वार्ता के बारे में आपको जरिये मोबाईल बताया था। तत्पश्चात वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.12.2025 को परिवादी जितेन्द्र कुमार एवं सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक के मध्य हुई वार्ता को परिवादी की मौजूदगी में भोलाराम कानि. एवं राजवीर सिंह कानि0 के सामने लैपटोप की मदद से चालू कर टेबल स्पीकरों के सहयोग से सुना गया तो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में दिनांक सही सेट नही होने से वाईस रिकॉर्डर में डले एसडी कार्ड के प्राईवेट फोल्डर जिसमें दिनांक 23.12.2025 अंकित है, उक्त फोल्डर को खोलने पर फोल्डर सोनी जिसमें भी दिनांक 23.12.2025 अंकित है, उक्त फोल्डर को खोलने पर फोल्डर त्मबत्क्पिसम में दिनांक 23.12.2025 अंकित है, उक्त फोल्डर को खोलने पर फोल्डर 1 जिसमें भी दिनांक 23.12.2025 अंकित है, उक्त फोल्डर को खोलने पर एक रिकॉर्ड फाईल 251217-1421 है, जिसमें दिनांक 17/12/2025 अंकित है, उक्त फाईल को खोलने पर सुना गया तो परिवादी के कथनों मुताबिक वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। अतः दिनांक 24.12.2025 को हुई सत्यापन वार्ता डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में दिनांक सही सेट नही होने के कारण 17/12/2025 प्रदर्शित हो रही है। जिसे दिनांक 24/12/2025 ही पढा जावे। जिस पर परिवादी को दिनांक 31.12.2025 को आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि 25,000/-रूपये सहित एसीबी कार्यालय में आने की हिदायत दी गई। इस पर परिवादी जितेन्द्र कुमार ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि 31.12.2025 को मुझे मेरे घरेलू कार्य से कही बाहर जाना है, मैं दिनांक 31.12.2025 को आपके कार्यालय में उपस्थित नही हो सकता हॅू। मैं दिनांक 01.01.2026 को आपके कार्यालय में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि के हाजिर हो जाउंगा। आरोपी सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक मेरे से दिनांक 01.01.2026 को रिश्वत राशि ले लेगा। इस पर परिवादी को दिनांक 01.01.2026 को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 25,000/- रूपये की व्यवस्था करने की हिदायत की गई तथा परिवादी की लिखित रिपोर्ट तथा उसके साथ पेश कागजात, मय कार्यवाही पुलिस, फर्दात तथा विभागीय वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड डले सहित (जिसमें दिनांक 24.12.2025 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है) को स्वंय के कब्जे में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय 02.30 पी.एम पर परिवादी को दिनांक 01.01.2026 को प्रातः समय 08.00 ए.एम पर एसीबी कार्यालय में आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि सहित आने की हिदायत देकर रवाना किया गया। इसके पश्चात दिनांक 30.12.2025 को समय 04.00 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाह बाबत कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सवाई माधोपुर के नाम तहरीर क्रमांक 1218/30.12.2025 जारी कर श्री रामकेश कानि. 98 को कल दिनांक 31.12.2025 को गवाह पाबन्द करने हेतु हिदायत की गई। इसके पश्चात दिनांक 01.01.2026 को समय 09.00 ए.एम पर दिनांक 31.12.2025 को श्री रामकेश कानि. 98 द्वारा कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सवाई माधोपुर से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री कृष्ण कन्हैया वर्मा सूचना सहायक व श्री जितेन्द्र गर्ग वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी उपस्थित कार्यालय आये। उक्त दोनो गवाहान को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनके नाम पते पूछे तो उन्होने क्रमशः कृष्ण कन्हैया वर्मा पुत्र स्व. श्री देवकी लाल जाति बैरवा, उम्र 45 वर्ष निवासी संजय कौलोनी गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर हाल सूचना सहायक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय सवाई माधोपुर मो.नं.

व जितेश कुमार गर्ग पुत्र श्री मदन मोहन गुप्ता जाति महाजन उम्र 36 वर्ष निवासी नये टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे किशन नगर भगवती कॉलोनी हिण्डोन सिटी जिला करौली हाल वरिष्ठ सहायक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय सवाई माधोपुर मो.नं. होना बताया। जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 10.00 ए.एम पर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री हरकेश मीना निवासी मैनपुरा, पुलिस थाना सूरवाल जिला सवाई माधोपुर उपस्थित कार्यालय आकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं आरोपी सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक को दी जाने वाली रिश्वति राशि 25,000/- रूपये की व्यवस्था करके लाया हॅू। इसके पश्चात पूर्व से ही कार्यालय में उपस्थित स्वतंत्र गवाहन श्री कृष्ण कन्हैया वर्मा सूचना सहायक व श्री जितेन्द्र गर्ग वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी को कार्यालय कक्ष में बुलाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की स्वीकृति चाही तो दोनो ने अपनी अपनी स्वयं की स्वेच्छा से ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह साथ रहने की मौखिक सहमति दी, तत्पष्चात दोनो गवाहों का परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 23.12.2025 को दिखाया जाकर पढवाया गया तो गवाहों ने रिपोर्ट को पढकर एवं परिवादी से वार्ता कर रिपोर्ट पर अपने अपने बतौर प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर दिनांक सहित किये गये। इसके पश्चात 10.30 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री कृष्ण कन्हैया वर्मा सूचना सहायक व श्री जितेन्द्र गर्ग वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी के सामने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार को संदिग्ध आरोपी सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 25,000/-रूपये पेश करने की कहने पर परिवादी ने संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राषि 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000/-रूपये (भारतीय चलन मुद्रा) के अपने पास से निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये, जिनका विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से बोल बोलकर करवाया गया। तत्पश्चात श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया

जाकर श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से एक साफ अखबार मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कक्ष में रखी साफ टेबिल के उपर बिछवाकर उस अखवार के उपर थोडा सा फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 25,000/-रूपये के नोटो पर अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री कृष्ण कन्हैया वर्मा सूचना सहायक से लिवाई गई जिसमें परिवादी के पास उसके बदन पर पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन एवं मोटरसाईकिल की चाबी के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु रूपया पैसा आदि नही रहने दिया गया, इसके बाद श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000/-रूपये के नोटो को संदिग्ध आरोपी सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक को दिये जाने के लिये परिवादी के पहने हुये पेन्ट की दाहिनी साईड की बगल वाली जेब के अन्दर रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटों को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर उसको देवे तथा आरोपी उक्त रिश्वती नोटों को प्राप्त करके कहां पर रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर कोई बहाना बनाकर बाहर आकर मौका स्थिति अनुसार अपने गले में डले मफलर को उतारकर या अपने मोबाईल फोन से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के या श्री राजवीर सिंह कानि. के मोबाईल पर मिसकॉल कर ईशारा करे, साथ ही दोनों गवाहों को भी जहां तक संभव हो सके परिवादी व आरोपी वरिष्ठ सहायक के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का हर संभव प्रयास करने की हिदायत दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र गर्ग वरिष्ठ सहायक से कार्यालय में से एक नये साफ प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय में लगे हुये आरओ से साफ पानी भरवाकर मंगवाया और कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री मनोज कुमार कानि. से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उसमें से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह श्री जितेन्द्र गर्ग वरिष्ठ सहायक से प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के भरे पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला साफ सफेद ही रहा जिसे हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग साफ सफेद होना बताया। इसके बाद प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के साफ सफेद घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने देखकर गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को नोटो पर लगाये गये फिनोफ्थलीन पाउडर एवं गिलास में डाले गये सोडियम कार्बोनेट पाउडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को बंद करवाकर श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से वापस कार्यालय की आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह श्री कृष्ण कन्हैया वर्मा सूचना सहायक के मार्फत उसके हाथ साबुन व साफ पानी से साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के धोवन को कार्यालय के बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार व प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक के दोनो हाथों को साबुन व साफ पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को शेम्पू साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया तथा ट्रेप बौक्स में खाली नई कपडे की थैलिया, सील चपडी, मोमबत्ती, सुई धागा, नमूना सील एवं नये खाली पैन्ड्राईव कवरों/डीवीडी सहित रखवाये गये। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने-अपने हाथ अलग अलग शेम्पू साबुन व साफ पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोडकर दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों की एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें किसी के पास अपने अपने पहचान पत्र एवं मोबाईल फोनो के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी को रिश्वत लेन-देन के समय आरोपी सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित को निकालकर कर चैक किया गया तो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में डले एसडी कार्ड जिसमें दिनांक 24.12.2025 को परिवादी व संदिग्ध आरोपी सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक के मध्य हुई रिकॉर्ड वार्ता रिकॉर्ड है, को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर आवष्यक हिदायत दी जाकर परिवादी को सुपुर्द किया गया एवं श्री राजवीर सिंह कानि. को मौका स्थिति अनुसार उक्त वॉईस रिकार्डर परिवादी के आरोपी के पास जाने से पहले चालू करने की हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल रनिंग नोट की गई। इसके बाद समय 11.20 ए.एम पर कार्यालय स्टाफ को अपने कक्ष में बुलाकर सभी के हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया जाकर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार को स्वंय के निजी वाहन से जिला उधोग केन्द्र सवाई माधोपुर बाद हिदायत आगे आगे रवाना कर उसके पीछे-पीछे श्री राजवीर सिंह कानि. 149 व मनोज कुमार कानि को राजवीर सिंह की निजी मोटरसाईकिल व श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 मय विभागीय मोबाईल कैमरा व श्री रामकेश कानि. को श्री हम्मीर सिंह की मोटरसाईकिल से रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री कृष्ण कन्हैया वर्मा सूचना सहायक व श्री जितेश गर्ग वरिष्ठ सहायक एवं श्री भोलाराम कानि. 281 सहित मय ट्रेप बॉक्स एवं लेपटोप मय प्रिन्टर आदि सामग्री के जरिये प्राईवेट वाहन के लेकर एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर से परिवादी द्वारा

दी गई सूचना अनुसार वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु जिला उद्योग केन्द्र सवाई माधोपुर के लिये रवाना हुआ, कार्यालय में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक को बाद हिदायत कार्यालय में छोडा गया। तत्पश्चात समय 11.25 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा प्राईवेट वाहनो सहित शहरी चिकित्सा केन्द्र सवाई माधोपुर के पास पहुंचा और श्री राजवीर सिंह कानि. 149 से परिवादी जितेन्द्र कुमार को सुपुर्द शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड डले सहित को चालू करवाकर परिवादी जितेन्द्र कुमार को उसके निजी वाहन से कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र सवाई माधोपुर पर मुनासिफ हिदायत कर रवाना कर उसके पीछे-पीछे श्री राजवीर कानि., श्री मनोज कुमार कानि., श्री रामकेश कानि., श्री हम्मीर सिंह कानि. मय विभागीय मोबाईल कैमरा को मोटरसाईकिलों से रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, भोलाराम कानि. के उनके पीछे-पीछे प्राईवेट वाहन रवाना हुआ। परिवादी जितेन्द्र कुमार कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र के अन्दर चला गये। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहान व स्टाफ सदस्यों के जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र सवाई माधोपुर के आस-पास अपने आप को छुपाते हुए खडे होकर परिवादी के नियत इशारे का इन्तजार करने लगे। इसके बाद समय 11.42 ए.एम पर दोनो गवाहों के सामने परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार ने कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र सवाई माधोपुर के गेट के पास से पूर्व निर्धारित ईशारा अपने गले में डले मफलर को उतारकर रिश्वत स्वीकृ्ति ईशारा करने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रैप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास उक्त कार्यालय के गेट के पास पहुँचा तथा परिवादी से वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा गया, तत्पश्चाच परिवादी के बताये अनुसार जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र सवाई माधोपुर में बने हॉल में पहुंचे, जहां एक व्यक्ति उक्त हॉल के पास सिडीयों के पास जाता नजर आया, जिसे देखते ही परिवादी ने हाथ का ईशारा कर बताया कि यही सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक है, जिसने अभी-अभी इस हॉल में मेरे से रिश्वत राशि 25,000/- रूपये लिये है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराहीयान के उक्त व्यक्ति के पास जाने लगा तो उक्त व्यक्ति द्वारा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान को देखकर उक्त व्यक्ति ने अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जैब में से रिश्वत राशि निकालकर हॉल के पास रखी लोहे की सीडी के पास से उक्त कार्यालय की छत पर रिश्वत राशि फेंकता हुआ नजर आया । जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहान मय हमराहीयान के उक्त व्यक्ति के पास पंहुचा, जो मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान को देखकर घबरा गया व हाथों को आपस में रगडने लगा, इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को यथा स्थिति में खडा रहने की हिदायत कर उक्त व्यक्ति से नाम पूछा तो उसने अपना नाम सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक होना बताया, उसके आस-पास कुछ पांच-पांच सौ रूपये के नोट पडे दिखे। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक से उक्त पडे हुये नोटो के बारे में पूंछा तो कहने लगा कि यह नोट मैने नही फैंके है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 से पडे हुये नोटो की विडियोग्राफी करने की हिदायत कर स्वतंत्र गवाह श्री कृष्ण कन्हैया वर्मा सूचना सहायक से उक्त नोटो को उठवाये व गिनवाये तो पांच-पांच सौ के कुल पांच नोट मिले। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बाकी रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो कोई जबाव नही दिया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक को हमराही स्टाफ की निगरानी में रखकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय श्री हम्मीर सिंह कानि. उक्त हॉल के पास लगी लोहे की सिडीयों से उपर चढकर देखा तो छत के उपर पांच-पांच सौ रूपये के नोट बिखरे हुये दिखाई दिये, इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 उक्त बिखरे हुये नोटो की विडियोग्राफी करवाकर स्वतंत्र गवाह श्री कृष्ण कन्हैया वर्मा सूचना सहायक से उक्त नोटो को उठवाये व गिनवाये तो पांच-पांच सौ के कुल पैंतालिस नोट मिले। इस प्रकार नीचे मिले पांच नोट व छत के उपर मिले पैंतालिस नोटो को कुल पचास नोट को स्वतंत्र गवाह श्री कृष्ण कन्हैया वर्मा के पास सुरक्षित रखवाये गये। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के छत के उपर से उतर कर स्वतंत्र गवाह श्री कृष्ण कन्हैया वर्मा सूचना सहायक के पास रखी रिश्वती राशि को उक्त गवाह से गिनवाया गया तो पॉच पॉच सौ रूपये के 50 नोट कुल 25,000 रूपये मिले, उक्त बरामद शुदा 25,000/-रूपये के नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना पाया गया। उक्त नम्बरी राशि 25,000/- रुपये को बतौर सुरक्षा स्वतन्त्र गवाह श्री कृष्ण कन्हैया वर्मा सूचना सहायक के पास सुरक्षित रखवाया गया। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक को तसल्ली देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सूर्यप्रकाश नामा पुत्र श्री सत्यनारायण जाति छीपा उम्र 34 वर्ष निवासी केषरिया मंदिर के पास मिश्र मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ सहायक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र सवाई माधोपुर होना बताया व परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार से ली गयी रिश्वत के बारे में पूछा तो बताया कि मैं जितेन्द्र कुमार मीना को पहले कभी नही मिला था और ना मैं इनको जानता हॅ्। श्री जितेन्द्र कुमार मीना मेरे पास ऑफिस कार्यालय में उनके कोई रिश्तेदारों की फाईल के बारे में जानकारी लेने आये थे, जब मैने उनसे फाईलों के बारे में पूछा तो श्री जितेन्द्र कुमार ने मुझे बताया कि मेरी वीआरयूपीवाई स्कीम में तीन फाईले थी। मैने जब इनसे पूछा कि आपकी फाईलो के नाम क्या क्या है तो इन्होने मेरे को तीनो फाईलो के नाम बताये एवं साथ ही यह

भी बोला कि हरकेश मीना मेरा पिताजी व विजेन्द्र कुमार मीना मेरा भाई है, जब मैने फाईले देखी तो दो फाईले हरकेश मीना, विजेन्द्र कुमार मीना जो कि एक ही जन आधार कार्ड पर दो लोन लिये गये है, मैने उनसे कहा कि एक जन आधार कार्ड पर एक ही आवेदक को छूट दी जा सकती है, तो जितेन्द्र ने कहा कि मेरी तो दोनो फाईलो की मार्जिन मनी एवं ब्याज पर छूट भी पहले आ गयी है। मेरे द्वारा फाईले देखने पर छः लाख नौ हजार पांच सो रूपये मार्जिन मनी एवं उक्त हरकेश मीना की फाईल की ब्याज राशि लगभग एक लाख रूपये भी दी जा चुकी है। क्योंकि राज्य सरकार की गाईड लाईन अनुसार एक परिवार या एक जन आधार पर एक ही आदमी या आवेदक को लोन मिलता है, अतः मेरे द्वारा जब यह कहा गया कि आपके दोनो लोन एक ही जन आधार कार्ड पर है, जो कि गाईड लाईन अनुसार अनुचित है और आपको मार्जिन मनी एवं ब्याज पर छूट भी दे दी गई है। जो कि गलत है, मेरे द्वारा इनसे कहा गया कि आपको दोनो फाईलो पर छूट एक साथ नही मिल सकती है। जितेन्द्र के द्वारा मुझ से यह कहा गया कि मैं तो आपके ऑफिस में दो साल में पहली बार आया हूँ और आपसे भी पहली बार ही मिला हूँ और मुझे आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा शैरपुर के मैनेजर ने आपसे मिलने के लिये कहा था तो मैने उनसे कहा कि आपके क्लेम मुझे 19 दिसम्बर को हि कार्यालय में प्राप्त हुये है और मैं इनको जल्दी ही पुटअप कर दूंगा क्योंकि पहले से ही ब्याज की पत्रावली कार्यालय में पुराने क्लैम के लिये चल रही थी। मै जितना जल्दी होगा उतना जल्दी पुटअप कर दूंगा। परन्तु आपको दोनो फाईलो में एक साथ सब्सिडी नही मिल सकती है। तब जितेन्द्र के द्वारा मुझसे कहा गया कि कैसे भी करके मेरी फाईलो को आगे प्रोसेस करो और कहा कि कैसे भी करके मुझे मेरे लोनो की सब्सिडी व ब्याज अनुदान राशि दिलवा दो और पुरानी सब्सिडीयों को रोकना व रिकबरी मत करवाना। मेरे द्वारा जितेन्द्र से कोई रिश्वत राशि की मांग नही की गई और नाही ली है। इस पर पास में खडे परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार ने आरोपी सूर्यप्रकाश नामा की बतायी गयी बातो का खण्डन करते हुये बताया कि मेरे पिताजी व मेरे भाई विजेन्द्र कुमार व मेरे बुआजी के लडके रामप्रकाश ने लघु उद्योग धन्धे के लिये जिला उद्योग केन्द्र सवाई माधोपुर से डॉ भीमराव अम्बेडकर दलित प्रोत्साहन स्कीम के तहत लोन लिया था। उक्त तीनो दुकानों का कार्य में ही देखता हूँ। उक्त तीनों लोनो की सब्सिडी व ब्याज अनुदान राशि हमारे लोन खाते में डालने के लिये मैं सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक जिला उद्योग केन्द्र सवाई माधोपुर से मिला तो इन्होने मेरे से तीस हजार रूपये रिश्वत की मांग की। इसके बाद मैने सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक की शिकायत 1064 पर की थी। 1064 वालों ने मुझे आपके मोबाईल नम्बर देने पर मैने आपसे सम्पर्क कर दिनांक 23.12.2025 को आपके कार्यालय में आया था, जहां पर मैरे सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक को रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथ पकडवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र व मेरे दस्तावेज दिये थे। इसके पश्चात दिनांक 24.12.2025 को आपके द्वारा रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया तो रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान सूर्यप्रकाश जी ने तीस हजार रूपये की मांग कर पच्चीस हजार रूपये लेने पर सहमत हो गये और मुझे 31.12.2025 को रिश्वत राशि लेकर इनके कार्यालय में बुलाया, मेरे दिनांक 31.12.2025 को आवश्यक कार्य होने से मैं नही आ सका। इसके बाद आज दिनांक 01.01.2026 उसी मांग के बदले में सूर्यप्रकाश नामा जी ने इनके कार्यालय के हॉल में 25,000/- रुपये की रिश्वत राशि मुझसे मांगकर अपने दांहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दांहिनी साईड की वगल वाली जेब में रख लिये। उसके बाद मैं इनके पास से रवाना होकर इनके कार्यालय के गेट से आपको बताया हुआ इशारा कर दिया। इसके पष्चात जब आप और आपकी टीम मेरे साथ यहां पर आयी तो आपको व आपकी टीम को देखकर इसने रिश्वत राशि फैंक दी। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय आरोपी मय हमराहीयान के उक्त हॉल में पहुंचा, जहां पर आरोपी सूर्यप्रकाश नामा द्वारा परिवादी जितेन्द्र कुमार से रिश्वत राशि ली थी। इसके पश्चात इसके पश्चात श्री मनोज कुमार कानि. 133 से प्राईवेट वाहन में से ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर आदि मंगवाया गया तथा स्वतंत्र गवाह श्री जितेश गर्ग वरिष्ठ सहायक से ट्रेप बौक्स में से दो प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास निकलवाकर कार्यालय परिसर से पानी मंगवाकर उक्त डिस्पोजल गिलासों में गवाह श्री जितेश गर्ग से पानी भरवाकर तथा उक्त गवाह से ही उनमें थोडा-थोडा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे संबंधितो को दिखाया तो सभी ने गिलासो के घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी श्री सूर्यप्रकाश नामा के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क- RH-1, RH-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी सूर्यप्रकाश नामा के बांये हाथ की अंगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये दोनो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पष्चात गवाह श्री कृष्ण कन्हैया वर्मा के पास पूर्व में आरोपी सूर्यप्रकाश नामा द्वारा फैंकी गयी रिश्वत राशि 25,000/- रुपयों जो कार्यालय के नीचे व छत पर मिली को पुनः गवाहन से चेक करवाया गया तो 500-

500 रूपये के 50 नोट अर्थात कुल 25,000/- रूपये होना बताया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त नोटो का मिलान फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया तो हुबहु वही नम्बरी नोट पाये गये। नोटो के नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित कराया जाकर बरामद शुदा नम्बरी 25,000 रुपये के नम्बरी नोटो को बतौर बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। तत्पश्चात आरोपी सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक की पेन्ट जिसमें रिश्वत राशि बरामद हुई थी, को ससम्मान उतरवाया जाकर कार्यालय स्टाफ से लोअर मंगवाकर लोअर को पहनवाया गया तथा उतारी हुई पेंट की दाहिनी साईड की बगल वाली जेब के अतिरिक्त अन्य जेबो की तलाशी गवाह श्री कृष्ण कन्हैया वर्मा के हाथ साबुन पानी से धुलवाने के पश्चात लिवाई गई तो पेन्ट की अन्य जैबो को चेक करवाया गया तो कोई अन्य आपत्तिजनक रुपया पैसा आदि नहीं मिला। तत्पश्चात पूर्व की भांति एक अन्य पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर साफ पानी से साफ करवाया जाकर उसमें पानी भरवाकर उसमें गवाह श्री जितेश गर्ग वरिष्ठ सहायक से उसके दोनो हाथ साबुन व पानी से साफ कराने के बाद थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सम्बन्धितों ने देखकर घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी सूर्यप्रकाश नामा के उतरवाये हुये पेंट की दांयी साईड की बगल वाली जेब को उलटवाकर उक्त गवाह से डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा डलवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर चिट पर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया, तथा काम में लिये गये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात उक्त पेंट की धुलाई हुई दांयी साईड की बगल वाली जेब को सुखवाकर उस पर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेंट को सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर कपडे की थेली पर मार्क P अंकित कर थैली के उपर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से प्राप्त कार्यालय के वाईस रिकॉडर एसडी कार्ड डले सहित को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर सुना गया तो वाईस रिकॉडर में रिश्वत लेन-देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं पैनड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी सूर्यप्रकाष नामा से परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार की लोन सम्बन्धित पत्रावलीयों के बारे मे पूछा तो उसने उक्त लोनो से संबंधित पत्रावली अपने कार्य करने की टेबिल व स्वंय के कब्जे की आलमारी में होना बताया। जिस पर आरोपी सूर्यप्रकाश नामा द्वारा परिवादी के कार्य से सम्बन्धित लोनो की तीनो पत्रावली अपने कार्य करने की टेबिल व आलमारी में निकालकर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की। जिनको बाद अवलोकन पृथक से बरामद कर जप्त की जावेगी। इसके बाद परिवादी एवं आरोपी श्री सूर्यप्रकाश नामा से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है, इस पर दोनों ने ही अपनी-अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। वक्त कार्यवाही बरामदगी व हाथ आदि धुलाई की विभागीय बीडीयो कैमरा से जरिये हम्मीर सिंह कानि. 02 से कराई गई बीडीयोग्राफी की पृथक से पैनड्राईव तैयार करवाई जाकर फर्द मुर्तिब की जावेगी। इस समस्त कार्यवाही में धोवन की शिशीयों, पेंट के पैकेट व बरामद शुदा रिश्वती राशि आदि को सील्ड मोहर करने के उपयोग में ली गई पीतल की बिना नम्बरी नमूना सील का नमूना फर्द पर अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। इसके बाद समय 3.00 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने व परिवादी की निशादेही पर घटनास्थल का नक्षा मौका एवं हालात मौका पूर्ण एवं पर्याप्त रोशनी में तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट किया गया। इसके बाद समय 03.25 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार मीना के समक्ष आरोपी सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार के पिता श्री हरकेश मीना व भाई विजेन्द्र कुमार मीना व रामप्रकाश मीना के नाम जिला उद्योग केन्द्र सवाई माधोपुर से ग्राम मैनपुरा पर फेब्रिकेशन जोब वर्क, रेडिमेड कपडे की दुकान, टेन्ट हाउस की दुकान के लिए लोन स्वीकृत करने से सम्बन्धित पत्रावली पेश की जिसका अवलोकन कर नम्बरिंग करवाई तो हरकेश मीना के नाम से पत्रावली पृष्ठ संख्या 01 लगायत 96 तक है एवं विजेन्द्र कुमार मीना के नाम से पत्रावली पृष्ठ संख्यां 01 से 43 तक तथा रामप्रकाश मीना के नाम से पत्रावली पृष्ठ संख्या 01 लगायत 43 तक है। उक्त पत्रावलीयों के प्रथम पेज एवं अन्तिम पेज पर सम्बन्धितो के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये। पत्रावली का विवरण निम्न प्रकार है-1- डा. भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 13/22-23 हरिकेश मीना पुत्र कजोड मल मीना निवासी ग्राम मैनपुरा की ग्राम मैनपुरा पर फैब्रिकेशन जोब वर्क की दूकान खोलने के लिए परियोजना राशि 16,88,000/- रू. एवं ऋण राशि 15 लाख रूपये आवेदन पत्रावली। 2- डा. भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 12/24-25 विजेन्द्र कुमार मीना पुत्र हरिकेश मीना निवासी ग्राम मैनपुरा की ग्राम मैनपुरा पर रेडिमेड की दूकान खोलने के लिए परियोजना राषि 26,67,000/- रू. एवं ऋण राशि 20 लाख रूपये आवेदन पत्रावली। 3- डा. भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 52/23-24 रामप्रकाश मीना पुत्र गजानन्द निवासी मउ जिला सवाई माधोपुर की गा्रम मैनपुरा पर टेन्ट हाउस की दुकान खोलने के लिए परियोजना राशि 20,00,000/- रू. एवं ऋण

राशि 15 लाख रूपये आवेदन पत्रावली। उपरोक्त मूल तीनो पत्रावली को श्री पंकज कुमार मीना महाप्रबन्धक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र सवाई माधोपुर को सुपुर्द कर फोटोप्रति करवा कर प्रमाणितषुदा फोटोप्रतियां पेश करने पर प्रकरण में बजह सबूत होने पर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। परिवादी का कार्य बाधित नही हो इसलिए मूल पत्रावली श्री पंकज कुमार मीना महाप्रबन्धक को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि जब भी न्यायालय अथवा ए.सी.बी. तलब करे तो पेश करें। इसके बाद समय 04.00 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी की उपस्थिति में आरोपी श्री सूर्यप्रकाश नामा पुत्र श्री सत्यनारायण जाति छीपा उम्र 34 वर्ष निवासी केशरिया मंदिर के पास मिश्र मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ सहायक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र सवाई माधोपुर को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) में बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये, गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की स्वयं की इच्छा से मौके पर उपस्थित चाचा के लडके चचैरे भाई श्री देवांशु को दी गई। इसके पश्चात आरोपी सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक जिला उधोग एवं वाणिज्य केन्द्र सवाई माधोपुर का सेवा विवरण श्री पंकज कुमार मीना महाप्रबन्धक जिला उधोग एवं वाणिज्य केन्द्र सवाई माधोपुर से प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 04.30 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी एवं मय ट्रेप पार्टी एवं गिरफ्ताशुदा आरोपी श्री सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र सवाई माधोपुर मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व जप्त/शील्डशुदा माल वजह सबूत मय प्राईवेट वाहनों को हमराह लेकर मौके से एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर के लिए रवाना हुआ। आरोपी का निवास स्थान सवाई माधोपुर में होने से तथा आरोपी के विरूद्व की गई ट्रेप कार्यवाही स्थानीय पब्लिक एवं समाचार चैनलो के माध्यम से प्रकाशित हो चुकी है तथा ब्यूरो चैकी पर मात्र एक अधिकारी होने से व ट्रेप कार्यवाही में समय अधिक लगने से आरोपी के रिहायसी मकान की खाना तलाशी नही ली गई। तत्पश्चात समय 4.40 पी.एम पर एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर पहुंच बजह सबूत समस्त आर्टिकल मय रिश्वत राशि, धोवन की सील्ड शीशीयों, पेन्ट पैकिट को जमा मालखाना जरिये कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री मनोज कुमार कानि. 133 करवाया गया तथा गिरफतार शुदा आरोपी को जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में रखा गया। इसके पश्चात समय 05.00 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री कृष्ण कन्हैया वर्मा सूचना सहायक व श्री जितेन्द्र गर्ग वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी एवं परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार के सामने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के रिकार्ड शुदा मूल विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित जिसमें परिवादी जितेन्द्र कुमार एवं संदिग्ध आरोपी श्री सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला उधोग एवं वाणिज्य केन्द्र सवाई माधोपुर के मध्य दिनांक 24.12.2025 को रूवरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, को दोनो गवाहान के सामने एवं परिवादी की उपस्थिति में कार्यालय में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड डले सहित को विभागीय कम्प्यूटर में चलाकर डिजीटल वॉईस रिकार्डर में डले सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड की फाईल 251217-1421 में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की परिवादी से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण कानि0 श्री राजवीर सिंह 149 से तैयार करवाया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री राजवीर सिंह कानि. से उक्त रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की विभागीय कम्प्यूटर की सहायता से तीन नये खाली पैनड्राईव i ball PENDANT 16 जीबी मार्क-ए न्यायालय प्रति एवं मार्क-ए-1 मुलजिम प्रति एवं मार्क-ए-2 आई.ओ. प्रति में संग्रहित करवाई जाकर वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त डब पैनड्राईवों की कार्यालय कम्पयूटर की मदद से ACCESS DATA FTK IMAGER से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्टर आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई तथा मूल न्यायालय प्रति एवं मुल्जिम प्रति डब पैनड्राईवों को कवर में सुरक्षित रख कर पृथक-पृथक कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति पेन ड्राईव मार्क ए-2 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव मार्क-ए एवं मुलजिम प्रति पेन ड्राईव मार्क ए-1 को शील्ड मोहर किया गया तथा आई.ओ. प्रति मार्क-ए-2 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा बजह सबूत सील्ड पैनड्राईव मार्क-ए, ए-1 को कार्यवाहक मालखाना प्रभारी मनोज कुमार कानि. 133 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया। तत्पश्चात समय 08.15 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री कृष्ण कन्हैया वर्मा सूचना सहायक व श्री जितेन्द्र गर्ग वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी एवं परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार के सामने विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित जिसमें आज दिनांक 01.01.2026 को आरोपी सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक एवं परिवादी जितेन्द्र कुमार के मध्य वक्त रिश्वत लेन-देन रूवरू हुई वार्ता रिकार्ड है, को दोनो गवाहान के सामने एवं परिवादी की उपस्थिति में कार्यालय में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड डले सहित को विभागीय कम्प्यूटर में चलाकर डिजीटल वॉईस रिकार्डर में डले सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड की फाईल 260101-1125 में रिकार्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की परिवादी से आवाज की पहचान कराकर उपरोक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण श्री राजवीर सिंह कानि. 149 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री राजवीर सिंह कानि. से उक्त रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की

कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से तीन नये खाली पैनड्राईव i ball PENDANT 16 जीबी मार्क-बी न्यायालय प्रति एवं मार्क बी-1 मुलजिम प्रति मार्क-बी-2 आई.ओ. प्रति में डब करवाई जाकर वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त डब पैनड्राईवों व मूल सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड की कार्यालय कम्पयूटर की मदद से ACCESS DATA FTK IMAGER हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई तथा मूल न्यायालय प्रति व मुल्जिम प्रति डब पैनड्राईवों को कवरों में सुरक्षित रख कर अलग-अलग कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति पेन ड्राईव मार्क बी-2 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव मार्क-बी एवं मुलजिम प्रति मार्क बी-1 को शील्ड मोहर किया गया तथा डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिश्वत मांग सत्यापन एंव रिश्वत लेन देन वार्ताओ को रिकार्ड करने हेतु उपयोग में लिये गये मूल सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकोर्डर से बाहर निकालकर उसको प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क-एसडी अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया तथा आई.ओ. प्रति मार्क-बी-2 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। तथा बजह सबूत सील्ड पैनड्राईव मार्क-बी, बी-1 को कार्यवाहक मालखाना प्रभारी मनोज कुमार कानि. 133 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया। तत्पश्चात समय 10.40 पी.एम पर गिरफतार शुदा अभियुक्त श्री सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक को खाना खिलाकर स्वास्थ्य परीक्षण एवं बाद स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना मानटाउन में बन्द हवालात कराने हेतु पृथक से सामान्य चिकित्सालय जिला सवाई माधोपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मानटाउन के नाम तहरीर जारी कर श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 मय जाप्ता श्री रामकेश कानि. 98, श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक तहरीर सहित सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर से बाद स्वास्थ्य परीक्षण मय रिपोर्ट प्राप्त बाला बाला सुरक्षित हालत में पुलिस थाना मानटाउन में बन्द कराने हेतु मय आरोपी श्री सूर्यप्रकाश नामा के जरिये सरकारी वाहन मय चालक मनोज कुमार कानि. 647 के रवाना किया गया। इसके पश्चात समय 11.00 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी व हाथ धुलाई की विभागीय मोबाईल कैमरा द्वारा कराई गई वीडियोग्राफी की श्री राजवीर सिंह कानि. 149 से संग्रहित करवाई जाकर मार्क सी व सी-1 एवं सी-2 अंकित करवाकर पैनड्राईव मार्क-सी व सी-1 को कबरों में अलग अलग रखकर उन्हें कपडे की थैलियो में अलग अलग सीब्ड मौहर कर थैलियों के उपर भी मार्का अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक पैनड्राईव मार्क-सी-2 को कवर में रख कपडे की थैली में रखवाकर सम्बन्धितों के हसताक्षर कराकर थैली पर मार्क अंकित कर वास्ते अनुसंधान खुला रखा गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात दिनांक 02.01.2026 समय 12.15 ए.एम पर श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 मय जाप्ता श्री रामकेश कानि. 98, श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक के उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा जरिये सरकारी वाहन मय चालक के आरोपी श्री सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक को सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर से बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना मानटाउन मे सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात कराकर रसीद एवं स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट लेकर वापिस आये, रसीद व स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 07.50 ए.एम पर श्री रामकेश कानि. 98 को मय सरकारी वाहन मय चालक मनोज कुमार कानि. 647 के पुलिस थाना मानटाउन में सुरक्षा की दृष्टि से बन्द हवालात गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक को पुलिस थाना मानटाउन से लेकर आने हेतु पुलिस थाना मानटाउन रवाना किया गया, जो समय 08.35 ए.एम पर गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक को पुलिस थाना मानटाउन हवालात से प्राप्त कर हमराह लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हुए। अभियुक्त सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक को कार्यालय में मुलाजमानों की निगरानी में चाय नास्ता कराकर सुरक्षित रखा गया। इसके पश्चात समय 08.40 ए.एम पर आरोपी सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक से परिवादी से मांगी एवं प्राप्त की गई रिश्वत राशि एवं पैडिंग कार्य के बारे में पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट तैयार कर पढाकर बाद हस्ताक्षर शामिल फाईल किया गया। इसके बाद समय 09.00 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की बिना नम्बरी सील जिस परACD SWM लिखा हुआ है, को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये नष्ट किया जाकर फर्द नष्ट नमूना मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार एवं स्वतंत्र गवाह को बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही आवश्यक हिदायत देकर रूखस्त दी गई। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त श्री सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र सवाई माधोपुर द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार से उसके पिता व भाईयों के नाम जिला उद्योग केन्द्र सवाई माधोपुर से स्वीकृत लोन की सब्सिडीडी व ब्याज अनुदान राशि देने की एवज में दिनांक 24.12.2025 को 30,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी के निवेदन करने पर 25,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना एवं उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 01.01.2026 को स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। उक्त मांग के अनुसरण में अभियुक्त सूर्यप्रकाश नामा वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र सवाई माधोपुर द्वारा कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र सवाई माधोपुर के अन्दर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार से मांग अनुसार 25,000/-रूपये रिश्वत प्राप्त

कर व एसीबी टीम को देखते ही रिश्वत राशि कार्यालय की छत पर फैंकते हुए को रंगे हाथो पकडा जाना। अभियुक्त श्री सूर्यप्रकाश नामा पुत्र श्री सत्यनारायण जाति छीपा उम्र 34 वर्ष निवासी केशरिया मंदिर के पास मिश्र मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ सहायक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र सवाई माधोपुर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है। (ज्ञान सिंह चैधरी)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर.......कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञान सिंह चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सूर्यप्रकाश नामा पुत्र श्री सत्यनारायण, जाति छीपा, उम्र 34 वर्ष, निवासी केशरिया मंदिर के पास मिश्र मोहल्ला, शहर सवाई माधोपुर, हाल वरिष्ठ सहायक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र सवाई माधोपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 53 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 28-31 दिनांक 04.01.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य, उद्योग भवन, तिलक मार्ग जयपुर 3- उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** AMIT SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I
Date: 0 /2026

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)